मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 2011 (फाल्गुन 13, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 116 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 112 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 11 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा सदन में पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। तद्नुसार -

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर के श्री हजारेश्वर उ.मा.विद्यालय के कर्मचारियों का वेतन भुगतान न किये जाने,

(2) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की प्रदेश की राज्य ओपन परीक्षा के परिणाम घोषित न होने से,

(3) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की सेमरिया क्षेत्र की टमस नदी पर पुल न बनाये जाने,

(4) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य की परसवाड़ा के ग्रामों में बालाघाट पंचायत द्वारा गृह ऋण न दिये जाने,

(5) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य की राजगढ़ के वार्ड 14 में सड़क एवं नाली न होने,

(6) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की शाजापुर जिले के कई ग्रामों को नहर से न जोड़े जाने,

(7) श्री संजय शाह मकड़ाई, सदस्य की हरदा जिले में गेहूं भंडारण में घपला होने,

(8) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की प्रदेश के बी.एड. के छात्र-छात्राओं के परीक्षा से वंचित होने,

(9) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की पात्र गुरूजियों को संविदा शिक्षक वर्ग-3 बनाए जाने,

(10) श्री संजय पाठक, सदस्य की कटनी में पदस्थ सहायक संचालक द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने तथा

(11) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य की अजयगढ़ जनपद पन्ना के कार्यपालन यंत्री द्वारा कपिलधारा कूपखनन में अनियमितता करने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, पर्यावरण मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10 तथा

(ख) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2008-09

पटल पर रखे तथा

(2) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2002-03 पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य ने रतलाम जिले के जावरा क्षेत्र के अन्तर्गत कुओं की विद्युत लाईनों का सुधार कार्य न किये जाने की ओर राज्यमंत्री, ऊर्जा का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने वक्तव्य दिया।

(2) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर-उज्जैन फोरलेन पर निर्माणाधीन पुल संकरा होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने वक्तव्य दिया।

(3) श्री अजय सिंह, सदस्य की अनुपस्थितिवश, प्रदेश के कृषकों को कृषि ऋणों पर ब्याज की छूट न मिलने संबंधी उनकी ध्यानाकर्षण की सूचना को अध्यक्ष महोदय द्वारा बाद में लेने सम्बन्धी निर्देश दिए गए।

(4) सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, नारायण सिंह पट्टा, पांचीलाल मेड़ा, सदस्यगण तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष ने सिवनी जिले के ग्राम थावरी में फसल मुआवजा राशि न मिलने के कारण कृषक द्वारा आत्म हत्या किए जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने वक्तव्य दिया।

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - "मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 23 के अनुसार, शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिये नियत हैं। कार्यमंत्रणा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि, इस सत्र के प्रत्येक शुक्रवार को भोजनावकाश नहीं होगा एवं इस अवधि में अशासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। अतः आज शासकीय कार्य पूर्ण होने के निरन्तर पश्चात् अशासकीय कार्य लिये जायेंगे।"

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम बुडेरा में पेयजल योजना एवं पानी की टंकी का निर्माण किये जाने तथा

(ख) शहर में कन्या हायर सेकेन्ड्री स्कूल खोले जाने,

(2) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम सेवासी में विद्युत ग्रिड लगाये जाने तथा

(ख) ग्राम सेवासी में हाई स्कूल प्रारम्भ किये जाने,

(3) श्री ताराचन्द बावरिया, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के परासिया को जिला बनाये जाने एवं

(4) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य की बालाघाट जिले के ग्राम छनेरा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 4 सन् 2011) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

8. वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा .....(क्रमशः)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2011 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर दिनांक 3 मार्च 2011 को प्रारम्भ हुई सामान्य चर्चा के क्रम में, निम्नलिखित सदस्यगण ने भी भाग लिया :-

(7) श्री के.पी. सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(8) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(9) डॉ. गोविन्द सिंह
(10) श्री मनीराम धाकड़
(11) श्री बाबूलाल वर्मा

9. अशासकीय संकल्प

(1) श्री विश्वास सारंग, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि -"सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश रियल इस्टेट नियामक संस्था का गठन किया जावे, जो मकान खरीदने वाले ग्राहकों को पंजीकृत बिल्डरों द्वारा तकनीकी शब्दों के कारण होने वाले शोषण से बचा सके ."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री विश्वास सारंग
(2) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(3) श्री गिरिराज किशोर पोद्दार
(4) श्री श्रीकांत दुबे
(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(6) श्री पारस सकलेचा
(7) श्री बालाराम बच्चन
(8) श्री रामलखन सिंह
(9) श्री गिरिजा शंकर शर्मा
(10) डॉ. निशिथ पटेल

श्री जयंत मलैया, पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि - "सदन का यह मत है कि भिण्ड शहरी विकास का मास्टर प्लान जो नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अनुसार लागू है, जिसमें शहर की बढ़ी आबादी के परिप्रेक्ष्य में भिण्ड विकास योजना में प्रस्तावित बायपास के निर्माण हेतु राज्य सरकार राशि उपलब्ध कराये."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(2) डॉ. गोविन्द सिंह

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री एवं श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

(3) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि - "सदन का यह मत है कि विधान सभा सदस्यों के नाम प्रोटोकाल सूची में महापौर से ऊपर रखे जावें."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. निशिथ पटेल
(2) श्री बालाराम बच्चन
(3) श्री गिरिराज किशोर पोद्दार
(4) श्री पारस सकलेचा
(5) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(6) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
(7) श्री रामलखन सिंह
(8) श्री श्रीकांत दुबे
(9) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(10) डॉ. गोविन्द सिंह
(11) श्री विश्वास सारंग
(12) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष
(13) श्री हरेन्द्रजीत सिंह
(14) श्री गिरिजा शंकर शर्मा

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन एवं श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

अपराह्न 2.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 7 मार्च, 2011 (फाल्गुन 16, 1932) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 4 मार्च, 2011